

पुनर्वित्त परिचालन विभाग,  
राष्ट्रीय आवास बैंक,  
नई दिल्ली - 110 003

महोदय,

**विषय : सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में आवास हेतु पुनर्वित्त सहायता**

हम \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक की अवधि में सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में हमारी ओर से संवितरित वैयक्तिक आवास ऋणों के संबंध में एतद्द्वारा पुनर्वित्त के लिए आवेदन करते हैं। दावे का विवरण निम्न प्रकार से है :-

1. ऋण की राशि, जिसके लिए पुनर्वित्त का दावा किया जा रहा है (किसी एक विकल्प पर निशान लगाएं)

क. आवासीय इकाईयों के निर्माण अथवा खरीदने के लिए 2,00,000/- रुपए तक दिया गया ऋण

ख. वर्तमान आवासीय इकाईयों की मरम्मत एवं उन्नयन के लिए दिया गया 50,000/-रुपए तक का ऋण

2. क्या 2 वर्ष के अधिस्थगन के लिए आवेदन किया है (हां/नहीं)

(अधिस्थगन सहित तथा अधिस्थगन रहित दावों के लिए पृथक दावा प्रपत्र प्रस्तुत किए जाएंगे)

क. क्या मूलधन के भुगतान पर 2 वर्ष के अधिस्थगन के लिए आवेदन किया है ? (हां/नहीं)

ख. क्या ब्याज के भुगतान पर 2 वर्ष के अधिस्थगन के लिए आवेदन किया है ? (हां/नहीं)

(अधिस्थगन का विकल्प ऋणों के केवल उस मामले में उपलब्ध है, जिसमें आवास वित्त कंपनी ने वैसी ही सुविधा अन्तिम उधारकर्ता को दे रखी है। मूलधन जमा (+) अधिस्थगन अवधि के अंत में पूंजीकृत ब्याज ऊपर विनिर्दिष्ट वैयक्तिक ऋण राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

3. \_\_\_\_\_(आवास वित्त कंपनी का नाम) को वर्ष 200\_\_(जुलाई से जून) के लिए \_\_\_\_\_रुपए की पुनर्वित्त सीमा संस्वीकार की गई है, जिसमें से हमने \_\_\_\_\_रुपए की राशि पहले ही ले ली है ।

4. शेष पुनर्वित्त सीमा में से, \_\_\_\_\_ रूप का दावा \_\_\_\_\_ के लेखा के संबंध में किया जा रहा है ।

1. उपर्युक्त राशि (जहां कहीं लागू हो, वहां 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित 15 वर्षों से अनधिक) \_\_\_\_\_ वर्षों की एक अवधि के लिए जारी की जाए ।
2. इस दावे में शामिल वैयक्तिक ऋणों की भारत औसत अवधि \_\_\_\_\_ वर्ष है ।
3. हम प्रमाणित करते हैं :-

क. यह विवरण लेखा बहियों और अभिलेख के अनुसार वास्तविक एवं सही है । घटकों को संवितरित आवास ऋणों का उपयोग उन्होंने उस उद्देश्य से किया है जिसके लिए ऋण संस्वीकार किए गए थे । पुनर्वित्त आवेदन में शामिल ऋण उन लोगों को अग्रिम दिए गए हैं जिनकी आवासीय सम्पत्ति समय-समय पर यथा अधिसूचित सुनामी प्रभावित राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में क्षतिग्रस्त हो गई है ।

ख. राष्ट्रीय आवास बैंक से पुनर्वित्त की राशि और इसी प्रकार अब दावा की जा रही पुनर्वित्त की राशि अन्तिम हिताधिकारियों को संवितरित ग्राह्य आवास ऋणों की कुल राशि से अधिक नहीं होती है ।

ग. केवल पिछले बारह महीनों में किए गए संवितरण ही दावे में शामिल किए गए हैं । इस दावे में शामिल संवितरण 01.01.2005 को अथवा उसके बाद दी गई संस्वीकृतियों के लिए किए गए हैं ।

घ. अपेक्षित पुनर्वित्त शीर्षकित योजना में विहित ग्राह्यता मानदंड के अनुसार संस्वीकृत आवास ऋणों के संबंध में है एवं प्रस्ताव राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से समय-समय पर निर्धारित एवं हमें संसूचित सामान्य नीति एवं सिद्धांतों के अनुरूप है । हम इस योजना के अधीन प्रदत्त ऋणों के संबंध में पूर्ण उत्तरदायित्व लेते हैं ।

ङ. वर्तमान दावे में शामिल राशियों के संबंध में पुनर्वित्त का दावा पूर्वतम में नहीं किया गया है ।

च. हमने अपनी संबंधित शाखाओं को उन ऋणों के बारे में सूचित कर दिया है, जो पुनर्वित्त के दावे में शामिल की गई हैं और ऋण की फाइल सत्यापन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के अधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाएगी ।

4. हम राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा भेजी गई पुनर्भुगतान की अनुसूची के अनुसार पुनर्भुगतान करने का वचन देते हैं ।
5. पुनर्वित्त की राशि \_\_\_\_\_ बैंक/शाखा (स्थान का नाम) में चल रहे हमारे चालू खाता सं. \_\_\_\_\_ में जमा करा दी जाए ।

भवदीय,

स्थान :

दिनांक :

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

नाम :

पदनाम :